

न्यायालय उप तहसीलदार तहसील सिंधाना जिला झुन्झुनु

गु0न0	किस्म गु0	रज्जु दिनांक	निर्णय दिनांक
51/19	धारा 91	18.7.19	06.08.19

उनवान सरकार वनाग कृष्ण पुत्र किशोरीलाल जाति बाहगण नि0 कुठानिया तहसील बुहाना जिला झुन्झुनु

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिकमी अनुपरिस्थित। मागला संक्षित में इस प्रकार है कि पटवारी ने सगवत 2076 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम कुठानिया की राजकीय भूमि गै0गु0 नाला ख0न0 215 रक्वा 0.20 किस्म गै0गु0 नाला मे से 0.02 है0 भूमि पर अतिकमी कृष्ण पुत्र किशोरीलाल जाति बाहगण नि0 कुठानिय तहसील बुहाना ने अवैध रूप से वाजरा काशत कर अनाधिकृत अतिकमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मागला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिकमी अनुपरिस्थित।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से गवन किया गया। अतिकमी द्वारा किया गया अतिकमी जो काविज नियमन नहीं है। वा ही नियमों के अनुरूप है। अतः उक्त अतिकमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिकमी घोषित किया जाता है। व नैर तहस रिपोर्ट पटवारी पर से वेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतिकमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये वाजरा की फराल कर के दण्ड स्वरूप अतिकमण शुदा भूमि के लगान 0.13 की 50 गुणा जुर्माना राशि 07/- रु वतौर शास्ति कायम किये जाते हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0नि0/पटवारी हल्का को वास्ते जगा कायगी/वेदखली/वसुली/ कर राशि राज कोष में जगा करवाने हेतु लिखा जावे। भू0 अ0नि0 को राजकीय भूमि से अतिकमीत भूमि से वास्तविक रूप से वेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली वाद तकमील तागिल दाखिल दफतर हो तथा नग्वर से कम होकर दर्ज फैसला हो।

आज दिनांक 06.08.19 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



नायब तहसीलदार

जम्मा व के मुद्द न 2  
भू 220 ... प 7 ... मां  
के काशत करे

N. S. S. S. S.